भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 730
गुरूवार, 08 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक)

समावेशिता और लैंगिक समानता के लिए बजट आवंटन

730. श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जारी प्रौद्योगिकीय प्रगति और बदलती कार्य-संरचना के परिप्रेक्ष्य में भावी रोजगार जरूरतों के लिए कार्यबल को अनुकूलित और तैयार करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार की अनौपचारिक श्रम बाजारों और अनिश्चित रोजगार स्थितियों जैसी चुनौतियों का किस प्रकार समाधान करने की योजना है, विशेषकर महामारी के बाद से उबरने के संदर्भ में; और

(ग) श्रम बाजार में समावेशन और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास क्या रणनीतियाँ हैं और यह बजट आवंटन में किस प्रकार परिलक्षित होती हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत, कौशल विकास केंद्रों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः कौशल और उन्नत-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उनके भविष्य और उद्योग के लिए तैयार करने में तथा कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा कौशल और रोजगार, कार्यबल की रोजगार योग्यता की अपेक्षाओं के अनुरूप है और मांग तथा आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए है। पीएमकेवीवाई को पुनः डिज़ाइन किया गया और इसे बाज़ार मांग आधारित योजना के रूप में शुरू किया गया है। इसके अलावा,कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, जिला स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रमों की योजना और निगरानी के विकेंद्रीकरण के लिए जिला कौशल समिति (डीएससी) की स्थापना की है। डीएससी को जिला स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रमों को, कुशल जनशक्ति की स्थानीय अपेक्षाओं और युवाओं की आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने के लिए, जिला कौशल विकास योजनाएं (डीएसडीपी) तैयार करने का काम सौंपा गया है। यह योजना, नए युग और उभरते पाठ्यक्रमों जैसे ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग (आईओटी), 3डी प्रिंटिंग, ब्लॉक चेन, मेक्ट्रोनिक्स, रोबोटिक्स आदि पर भी केंद्रित है।

इसके अलावा, रोजगार के अवसरों को संभव बनाने हेतु स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) पोर्टल को, वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया गया है जो कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता इकोसिस्टम को एकीकृत करता है ताकि हितधारकों की व्यापक श्रेणी को लक्षित करते हुए जीवन भर चलने वाली सेवाएं प्रदान की जा सके। संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए, प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण एसआईडी पोर्टल पर उपलब्ध है। एसआईडी पर उपलब्ध जॉब एक्सचेंज विकल्प, उम्मीदवारों को उपलब्ध नौकरियों की खोज करने और तदनुसार आवेदन करने में सक्षम बनाने में मदद करता है। स्किल इंडिया डिजिटल के माध्यम से उम्मीदवार, नौकरियों और प्रशिक्षुता के अवसरों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा, ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (ओजेटी) और रिक्रूट-ट्रेन-डिप्लॉय (आरटीडी) मॉडल को योजना का अंतर्निहित घटक बनाया गया है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना, रोजगार हेतु आईटी जनशक्ति के पुन: कौशल/उन्नत कौशल के लिए फ्यूचर स्कील्स प्राइम कार्यक्रम को शामिल करती है जिसे भविष्य और उद्योग के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों से निपटने वाले उद्योग के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार, सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) कार्यक्रम, सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधनों के सृजन और विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरूकता पैदा करने के लिए है।

सरकार ने, असंगठित कामगारों जिसमें गिग कार्मिक और प्लेटफॉर्म कार्मिक भी शामिल हैं, उनके पंजीकरण और एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया है। इसमें एक व्यक्ति स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर सकता है और इसमें लगभग 400 व्यवसाय है। दिनांक 31.01.2024 तक, ई-श्रम पोर्टल पर विभिन्न व्यवसायों के तहत असंगठित कामगारों का कुल पंजीकरण 29.35 करोड़ है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि जैसी विभिन्न प्रकार की करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। एनसीएस पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के सहमति आधारित निर्बाध पंजीकरण के लिए एनसीएस पोर्टल को ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। ई-श्रम पंजीकरणकर्ता, अपनी रुचि और कौशल के आधार पर एनसीएस पर नौकरियों की खोज और आवेदन कर सकते हैं।

हाल ही में, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नियोक्ताओं को एक परामर्शी जारी की गई है जिसमें उनसे न केवल विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए बल्कि महिलाओं को बड़ी संख्या में कार्यबल में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लैंगिक समानता की नीतियों और कार्यक्रमों को अक्षरश: लागू करने के लिए भी आगे आने को कहा गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः स्थापन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके।

सरकार द्वारा, स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार द्वारा, वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना कार्यान्वित की जा रही हैं जिससे 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं दीन दयालय उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। महिला श्रमिकों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में कई सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सैवैतनिक प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

वेतन संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा वेतन से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय पर लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, उस स्थिति में किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

सरकार, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****